प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 11.03.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 11.03.2026 को निम्न अभियोग में सजा करायी गयी है।

1. थाना ऊसराहार

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 05 वर्ष का कठिन कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का कठिन कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

संक्षिप्त विवरणः-

थाना ऊसराहार क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा तमंचे से धमकाकर बल प्रयोग कर वादी की पत्नी के कानो की झुमकी व वादी की चेन व नगद छीन लेने के सम्बन्ध में थाना ऊसराहार पर दिनाँक 29.06.2012 को **मु0अ0सं0-119/2012 धारा 394 भादवि पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी **उ0नि0 श्री जगदेव सोनकर** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना ऊसराहार पुलिस टीम, पैरोकार हे0का0 सुरेन्द्र सिंह व मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 11.03.2026 को अन्तर्गत **धारा 394 भादवि में मा0 न्यायालय एडीजे-3 इटावा द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का कठिन कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अभियुक्त-

1. **विश्राम पुत्र सुल्तान निवासी दरियापुर थाना करहल जनपद मैनपुरी।**